दिनांक 14.11.2024 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

निगम भिलाई के जवाहर नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर जोन–2 वार्ड क्रमांक 25 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए बेदखली की कार्यवाही की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई थी, कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा निगम भिलाई के भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर रहा है अतिक्रमणकारी को नोटिस दिया गया कि भूखंड स्वयं का है, दस्तावेज निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करने को कहा गया। समय सीमा के अंदर संबंधित द्वारा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। शिकायत के आधार पर निगम के राजस्व अधिकारी एवं तोड़फोड़ दल मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर देखा की निगम की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। वैशाली नगर के जोन आयुक्त को इस बात का ज्ञात होते ही कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निगम की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। जोन आयुक्त येशा लहरे ने राजस्व अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिसके आधार पर निगम की टीम अवैध निर्माण को जे.सी.बी. के माध्यम से तोड़कर भूमि को मूर्त रूप दिए। गौरतलब है कि अवैध निर्माण करने वाले किसी प्रकार के व्यक्ति के निर्माण स्थल को नगर निगम भिलाई उसके स्वयं के व्यय से तोड़कर उससे अर्थदण्ड वसूल करेगी। कार्यवाही के दौरान वैशाली नगर जोन–2 राजस्व विभाग से राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी, कृष्ण कुमार सुपैत, अरुण सिंह, पूषण देशमुख, गुप्ता नंद तिवारी एवं मुख्य कार्यालय से बेदखली दल हरिओम गुप्ता के साथ राजेन्द्र सिंह, कन्हैया यादव, मंगल जांगड़े, विष्णु सोनी आदि उपस्थित रहे।